मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन हेतु सहायक प्राध्यापक के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 01/परीक्षा/2014/ **09.07.2014** | ऑनलाइन आवेदन करने की

उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन | अंतिम तिथि **20.08.2014**

महत्वपूर्ण

1- यह विज्ञापन "मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम 1990" यथा संशोधित संशोधन दिनांक 14.08.2003 तथा 28.06.2008 के अनुसार जारी किया जा रहा है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2010 का अनुपालन उक्त भरती नियम की सीमाओं में होगा।

2- आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जायेगे. आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2014 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 20.08.2014 (रात्रि 12:00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर भरे जा सकते है ।

3- आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें । ऑनलाइन आवेदनपत्रों में 31.07.2014 से 22.08.2014 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा । इस हेतु प्रति सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा । आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम. पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते है ।

4- ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किए जाएगें तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा ।

5- विज्ञापन के सन्दर्भ में नवीन सूचनायें केवल आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रसारित की जायेंगी । आवेदक नवीन सूचनाओं हेतु आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें ।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, के अंतर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है :-

बैकलाग पद :-

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी नि:शक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या								
									अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		SC	ST	OBC	कुल	SC	ST	OBC	अ.बा.	द.बा.	श्र.बा.	अ.बा.	द.बा.	श्र.बा.	अ.बा.	द.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	भौतिक शास्त्र	26	27	0	53	8	8	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
2	रसायन शास्त्र	4	36	0	40	1	11	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	प्राणी शास्त्र	0	14	0	14	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
4	वनस्पति शास्त्र	0	9	0	9	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	गृह विज्ञान	11	16	0	27	3	5	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
6	गणित	9	38	0	47	3	11	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0
7	वाणिज्य	37	53	0	90	11	16	0	1	0	1	1	1	1	0	0	0
8	भूगोल	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिन्दी	30	47	5	82	9	14	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0
10	अंग्रेजी	24	58	17	99	7	17	5	0	1	0	1	1	1	0	1	0
11	विधि	13	14	2	29	4	4	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
12	समाजशास्त्र	24	33	0	57	7	10	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0
13	अर्थशास्त्र	24	62	4	90	7	19	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0
14	राजनीति शास्त्र	24	47	8	79	7	14	2	0	1	0	1	1	1	0	0	0
15	उर्दू	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	संगीत	3	3	0	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	दर्शनशास्त्र	3	4	1	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	238	467	37	742	71	140	11	4	5	5	8	9	9	0	1	0

गैर बैकलाग पद

क्रमांक	विषय	रिक्त पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या				रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के मूल निवासी निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या											
											अनारक्षित			अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य पिछड़ा वर्ग		
		अना.	SC	ST	OBC	कुल	UR	SC	ST	OBC	अ.बा.	द.बा.	श्र.बा.	अ.बा.	द.बा.	श्र.बा.	अ.बा.	द.बा.	श्र.बा.	अ.बा.	द.बा.	श्र.बा.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	भौतिक शास्त्र	38	12	15	11	76	11	4	5	3	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0
2	रसायन शास्त्र	35	11	14	10	70	11	3	4	3	1	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
3	प्राणी शास्त्र	43	14	17	12	86	13	4	5	4	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
4	वनस्पति शास्त्र	37	12	15	10	74	11	4	5	3	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0
5	गृह विज्ञान	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गणित	25	8	10	7	50	8	2	3	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7	वाणिज्य	32	10	13	9	64	10	3	4	3	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
8	भूगोल	13	4	5	4	26	4	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	हिन्दी	18	6	7	5	36	5	2	2	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	अँग्रेजी	28	9	11	8	56	8	3	3	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
11	विधि	44	14	18	12	88	14	4	5	4	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1
12	समाजशास्त्र	9	3	3	3	18	3	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	अर्थशास्त्र	32	10	13	9	64	10	3	4	3	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
14	राजनीति शास्त्र	43	14	17	12	86	13	4	5	4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1
15	दर्शनशास्त्र	2	1	1	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	इतिहास	34	11	14	9	68	10	3	4	3	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
17	संस्कृत	18	6	7	5	36	5	2	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग		452	145	181	126	904	137	43	54	40	8	9	9	3	3	2	2	5	4	2	2	3

दो - **पद का विवरण**

(A) **विभाग का नाम** : **मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग**

(B) **श्रेणी** : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) **पद स्थिति** : स्थायी

(D) **वेतनमान** : रुपये 15600-39100 + एजीपी 6000

(E) **कर्तव्य** : शैक्षणिक कार्य

पद का नाम : **सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor)**

अर्हता :

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर विहित शैक्षणिक अर्हता, स्नातकोत्तर स्तर पर कम से कम 55 प्रतिशत अंक होने चाहिए, परंतु अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए अंकों का प्रतिशत 50 प्रतिशत होगा।

(ख) नेशनल एलिजीबिलिटी टेस्ट (एन.ई.टी.) या मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा (एस.एल.ई.टी.) या पीएच. डी. उपाधि धारक।

(ग) उनके लिए, जिनके पास केवल स्नातकोत्तर उपाधि है, सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए, नेशनल एलिजीबिलिटी टेस्ट (एन.ई.टी.), अनिवार्य अर्हता होगी, तथापि, जिन अभ्यर्थियों के पास संबन्धित विषय में पी.एच.डी. उपाधि है, उन्हें स्नातकोत्तर स्तर तथा स्नातक स्तर अध्यापन के लिए नेशनल एलिजीबिलिटी टेस्ट (एन.ई.टी.) परीक्षा से छूट दी जाती है। जिन अभ्यर्थियों के पास संबन्धित विषय में एम. फिल. की उपाधि है, उन्हें केवल स्नातक स्तर अध्यापन के लिए नेशनल एलिजीबिलिटी टेस्ट (एन.ई.टी.) से छूट दी जाती है।

(a) Educational Qualification Prescribed by University Grant Commission from time to time. At the Post Graduate level there should be at least 55% marks provided that for the Scheduled Castes and Schduled Tribes candidates the

percentage of marks shall be 50%.

(b) Passed National Eligibility Test (NET) or Madhya Pradesh State level Eligibility Test (SLET) or Ph.D. Degree Holder.

(c) National Eligibility Test (NET) shall be compulsory qualification for appointment as Assistant Professor for those who are having only Post Graduate Degree. However, the candidates havind Ph. D. Degree in the concerned subject are exempted from National Eligibility Test (NET) Examination for Post graduate level and under graduate level teaching. The candidates having M. Phil. Degree in the concerned subject is exempted from National Eligibility Test (NET) for Under Graduate level teaching only.

अर्हता के संदर्भ मे टीप:

(1) 1 जून 2009 के बाद एम.फिल./ पी.एच.डी. उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों हेतु आवश्यक जानकारी

1 जून 2009 के पश्चात एम.फिल./ पी.एच.डी. की उपाधि प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को एम.फिल./ पी.एच.डी. का लाभ तभी देय होगा यदि उन्होंने "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (एम.फिल./ पी.एच.डी. उपाधि के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) नियमन 2009" के अनुसार एम.फिल./ पी.एच.डी. की हो या मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक 91/सीसी/12/अड़तीस दिनांक 16.01.2012 में प्रावधानित आवश्यक कोर्स वर्क पूर्ण किया हो। ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर उपाधि तथा पी. एच. डी./ एम. फिल. एवं NET/SLET संबन्धित विषय अथवा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य सह-विषय में प्राप्त किया होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य सह-विषयों तथा कुछ विषयों जिनमें NET/ SLET नहीं होती उनमें किन विषयों में किया गया NET/ SLET मान्य होगा इसकी जानकारी निम्नानुसार है:-

(अ) विभिन्न विषयों हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित सह-विषय

(उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 दिनांक 19.05.2014 यथा संशोधित समसंख्यक आदेश दिनांक 2.07.2014)

क्र.	विषय	सह विषय (Allied Subjcts)	रिमार्क
1	वनस्पति शास्त्र (Botany)	1. सूक्ष्म जीव विज्ञान (Microbiology) 2. जैव प्रोद्योगिकी (Biotechnology) 3. जीव विज्ञान (Bio Science) 4. पर्यावरण विज्ञान (Environment Science) 5. फारेस्ट्री (Forestry) 6. बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry) 7. बायोइन्फार्मेटिक्स (Bioinformatics)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है
2	वाणिज्य (Commerce)	1. लेखांकन (Accountancy) 2. प्रबंधन (Management) 3. लेखा प्रबंधन (Account Management)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है
3	अर्थशास्त्र (Economics)	1. एम.बी.ई. (Master of Business Economics) 2. व्यवहारिक अर्थशास्त्र (Applied Economics)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है
4	अँग्रेजी (English)	-	कोई सह विषय नहीं
5	भूगोल (Geography)	1. समुद्र विज्ञान (Oceanography) 2. मौसम विज्ञान (Mateorology)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है
6	हिन्दी (Hindi)	1. भाषा विज्ञान (Linguistics)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर

		2. अनुवाद विज्ञान (Translation Science)	विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है
7	इतिहास (History)	1. आधुनिक इतिहास (Modern History) 2. मध्यकालीन इतिहास (Medival History) 3. प्राचीन इतिहास (Ancient History)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है
8	गृह विज्ञान (Home Science)	-	कोई सह विषय नहीं
9	विधि (Law)	-	कोई सह विषय नहीं
10	गणित (Mathematics)	1. कम्प्यूटेशनल मैथेमेटिक्स (Computetional Mathematics) 2. व्यवहारिक गणित (Applied Mathematics) 3. औद्योगिक गणित (Industrial Mathematics) 4. इंजीनियरिंग मैथ्स (Engineering Maths)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है
11	संगीत (Mtusic)	-	कोई सह विषय नहीं
12	दर्शन शास्त्र (Philosophy)	-	कोई सह विषय नहीं
13	भौतिक शास्त्र (Physics)	1. व्यवहारिक भौतिक (Applied Physics) 2. पदार्थ विज्ञान (Material Science) 3. इलेक्ट्रानिक्स (Electronics)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है
14	राजनीति शास्त्र (Political Science)	1. लोक प्रशासन (Public Administration) 2. अन्तराष्ट्रीय संबंध (International Relations)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है
15	संस्कृत (Sanskrit)	-	कोई सह विषय नहीं
16	समाजशास्त्र (Sociology)	1. सोशल वर्क (Social Work) 2. मानव शास्त्र (Anthropology)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है
17	उर्दू (Urdu)	-	कोई सह विषय नहीं
18	प्राणीशास्त्र (Zoology)	1. फिशरीज़ (Fisheries) 2. एक्वाकल्चर (Aquaculture) 3. पर्यावरण विज्ञान (Environment Science) 4. बायोकेमिस्ट्री (Biochemistry) 5. Limnology 6. Entomology 7. जैव प्रोद्योगिकी (Biotechnology) 8. जीव विज्ञान (Bio Science) 9. बायोइन्फार्मेटिक्स (Bioinformatics)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक है

		10.अनुवांशिकी (Genetics)	
19	रसायन शास्त्र (Chemistry)	1. व्यवहारिक रसायन शास्त्र (Applied Chemistry) 2. पर्यावरण रसायन शास्त्र (Environment Chemistry) 3. फार्मास्युटिकल केमिस्ट्री (Pharmaceutical Chemistry) 4. औद्योगिक रसायन (Industrial Chemistry) 5. कार्बनिक रसायन (Organic Chemistry) 6. अकार्बनिक रसायन (Inorganic Chemistry) 7. भौतिक रसायन (Physical Chemistry) 8. वैश्लेषिक रसायन (Analytical Chemistry)	सहविषय के स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को स्नातक स्तर पर विज्ञापित मुख्य विषय का अध्ययन उत्तीर्ण होना आवश्यक
टीप: कतिपय अलग-अलग मूल विषयों के सह विषय (Allied Subject) एक ही हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सहायक प्राध्यापक के पद हेतु केवल एक मूल विषय के लिए ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।			

(ब) कुछ विषयों हेतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्य UGC NET/SLET विषयों की जानकारी

(उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन के आदेश क्रमांक एफ 1-118/2012/38-1 दिनांक 11.06.2014)

क्र.	विषय	मान्य विषय	पात्रता परीक्षा
1	भौतिक शास्त्र	Physical Sciences	CSIR UGC NET
2	रसायन शास्त्र	Chemical Sciences	CSIR UGC NET
3	प्राणी शास्त्र	Life Sciences	CSIR UGC NET
4	वनस्पति शास्त्र	Life Sciences	CSIR UGC NET
5	गणित	Mathematical Sciences	CSIR UGC NET

(G) आयु सीमा: **21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

(H) आयु संगणना तिथि 01.01.2015

तीन (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हतायें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि **20.08.2014** तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हतायें अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या मे परिवर्तन किया जा सकता है।

(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जायेगी।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्य प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगें।**

(v) **सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित है। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य है आरक्षण हेतु पात्र नहीं है। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

(vii) मध्य प्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गयी अन्य छूटों के लिए <u>**परिशिष्ट -1**</u> देखें।

चार **मध्य प्रदेश सिविल सेवायें (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :- यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तो को पूरा करते है। अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तो को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी।**

छ: अधिवार्षिकी आयु :- **65 वर्ष**

सात **चयन प्रक्रिया** :- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन लिखित प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार के प्राप्तांकों तथा मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक के योग के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न-पत्र में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा पत्र भेजकर / आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/ पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। <u>**चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कंप्यूटर त्रुटि/ लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।**</u>

<u>**लिखित प्रतियोगी परीक्षा की योजना हेतु परिशिष्ट-4 देखें। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com, पर उपलब्ध है जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है। लिखित परीक्षा की तिथि एवं तत्सम्बंधी व्यवस्था यथासमय "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com, पर प्रकाशित किया जाएगा।**</u>

आठ लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केंद्र :- लिखित परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर तथा रीवा स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। आवेदकों की संख्या तथा प्रशासकीय कारणों से परीक्षा केन्द्रों की संख्या कम की जा सकती है। लिखित परीक्षा की तिथि तथा अन्य आवश्यक जानकारियां यथासमय **"रोजगार और निर्माण"** समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट <u>**www.mppsc.nic.in**</u>, <u>**www.mppsc.com**</u> पर उपलब्ध कराई जाएगी।

नौ आवेदन प्रक्रिया :- उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेगें। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु <u>परिशिष्ट -3</u> का अवलोकन करें।

दस आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र व्यवहार किया जाएगा। यदि आवेदक का पता परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नए पते की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करे। आवेदक द्वारा पता परिवर्तन की स्थिति में नए पते की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने पते पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

ग्यारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-

(i) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट -1**

(ii) मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों हेतु देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट की व्यवस्था **परिशिष्ट -2**

(iii) आवेदन पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट -3**

(iv) परीक्षा योजना हेतु **परिशिष्ट -4**

सचिव

परिशिष्ट -1

(एक) उच्चतर आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

(1) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012 यथा संशोधित परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष नियत करते हुये निम्नानुसार छूट की गणना अधिसूचित की गयी है :-

1	पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2	पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग-शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6	महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा, परित्यक्ता, तलाक़शुदा)	45 वर्ष
7	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
विशेष :- सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

(2) **मध्य प्रदेश शासन के स्थायी/ अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल,परिषद, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओ में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगा।**

(3) नि:शक्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। **सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

(4) उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, ऐसे अतिथि विद्वानों को कार्य अनुभव के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी (**वर्तमान व्यवस्था :- सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।**) ।

(5) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवा का योग हो) कम कराने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छ: मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(6) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गयी सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की

अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

स्पष्टीकरण :-

मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार :

" 2. (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमे भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित है, किसी भी रैंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छ: मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किए जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोकतानुसार निर्मुक्ति या अंतरित किए जाने का हकदार होने के लिए अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छ: मास से अनधिक अवधि के लिए सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो। "

टीप: भूतपूर्व सैनिक की उक्त परिभाषा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के संशोधनों के अधीन रहेगी

(दो) प्रोत्साहन स्वरूप दी गयी छूटें

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीनकार्ड धारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3)1, दिनांक 11 जनवरी 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाडियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

टीप :- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/ योजनाओं के अंतर्गत दी गयी छूटों मे से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूटें मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में है अत: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग नि:शक्त तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा में छूट केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगें।

(सामान्य प्रशासन विभाग, मध्य प्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट :-

(01) उपरोक्त परिशिष्ट -1 (एक) (1 से 5) (दो) (1 से 3) मे उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटो को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं है।

मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट संबंधी व्यवस्था

मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ। 1-22-2009-अड़तीस, दिनांक 15.04.2014 द्वारा मध्य प्रदेश शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन शाखा) भरती नियम, 1990 के नियम 11 के उप नियम (7) के पश्चात (8) निम्नानुसार स्थापित किया गया है :-

" (8) उन अभ्यर्थियों को, जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक अथवा क्रीड़ा अधिकारी या ग्रंथपाल का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है तथा जिन्होंने उसी विषय के सहायक प्राध्यापक अथवा क्रीडा अधिकारी या ग्रंथपाल के स्वीकृत पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे उनके द्वारा अतिथि विद्वान के रूप मे किए गए कार्य के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार प्रति सत्र अधिकतम 4 अतिरिक्त वरीयता अंक के मान से अधिकतम 20 अंक की सीमा तक वरीयता अंक प्राप्त करेंगें। वरीयता अंक अंतिम मेरिट सूची तैयार करते समय जोड़े जाएंगे। ऐसे अतिथि विद्वानों को कार्य अनुभव के आधार पर शासन द्वारा निर्धारित मापदंड अनुसार आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार छूट की अधिकतम आयु सीमा से अधिक नहीं होगी "

(1) उपरोक्त व्यवस्था के अनुपालन में मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने वाले सहायक प्राध्यापकों को निम्नानुसार वरीयता अंक तथा अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी :_

वरीयता अंक :-

1	एक शैक्षणिक सत्र में 151 या 151 से अधिक कालखंडों पर	04 अंक
2	एक शैक्षणिक सत्र में 101 या 150 तक के मध्य कालखंडों पर	03 अंक
3	एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 तक के कालखंडों पर	02 अंक
4	एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखंडों पर	01 अंक

आयु सीमा में छूट :-

	एक शैक्षणिक सत्र में अनुभव के चार अंक प्राप्त होने पर	01 वर्ष
टीप:-	आवेदक सम्पूर्ण अतिथि अध्यापन अवधि में कार्य अनुभव के आधार पर प्रति सत्र अधिकतम 04 वरीयता अंक अधिकतम 20 अंक एवं प्रति सत्र 04 अंक प्राप्त करने पर ही एक वर्ष की छूट अधिकतम 5 वर्ष की छूट का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगें जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र अनुसार अधिकतम आयु सीमा की छूट से अधिक नहीं होंगें (**वर्तमान व्यवस्था:-** समस्त प्रकार की छूटों को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी)	

(2) ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक का कार्य अतिथि विद्वान के रूप मे किया है वे इस परिशिष्ट-2 से संलग्न **प्रपत्र -एक** में संबंधित महाविद्यालय/ महाविद्यालयों के प्राचार्य से अनुभव प्रमाण-पत्र प्राप्त करेंगें।

(3) उक्त प्रमाण-पत्र/ प्रमाण-पत्रों के आधार पर इस परिशिष्ट-2 से संलग्न **प्रपत्र -दो** (गणना-पत्रक) की अध्यापन अनुभव के आधार पर पूर्ति करेंगें तथा तत्पश्चात उक्त गणना पत्रक को प्रमाणीकरण हेतु अग्रणी महाविद्यालय में प्राधिकृत जांचकर्ता अधिकारी को प्रस्तुत करेंगें।

(4) अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित गणना-पत्रक के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का उल्लेख अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथा-स्थान किया जाएगा जिससे उसे 45 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा के अध्यधीन अधिकतम आयु सीमा में गणना-पत्रक में अभिप्रमाणित छूट प्राप्त हो सकेगी।

(4) जिन अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में स्ववित्तीय योजना के तहत विभाग द्वारा स्वीकृत विषयों में अतिथि विद्वानों के रूप में कार्य किया है, उन्हें भी उपरोक्तानुसार वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का लाभ देय होगा।

प्रपत्र- एक

कार्यालय, प्राचार्य, ... (शासकीय महाविद्यालय का नाम)

शासकीय महाविद्यालय का पता, दूरभाष एवं ई-मेल: ....

....

अनुभव प्रमाण-पत्र

(केवल लोक सेवा आयोग द्वारा जारी सहायक-प्राध्यापक सीधी भर्ती के सन्दर्भ में मान्य)

(अतिथि विद्वान के रूप में शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने हेतु)

क्रमांक: ....   स्थान: ...., दिनांक: ....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री .... (अतिथि विद्वान का नाम) आत्मज/आत्मजा श्री .... ने इस महाविद्यालय के .... विभाग में अतिथि विद्वान के रूप में निम्नानुसार सत्रों में शैक्षणिक कार्य संपन्न किया :

क्रमांक	शैक्षणिक सत्र	कुल कालखंडो की संख्या	रिमार्क

टीप: यह अनुभव प्रमाण-पत्र महाविद्यायीन लेखा एवं अन्य अभिलेखों के आधार पर जारी किया गया है|

स्थान: ....

(हस्ताक्षर)

प्राचार्य का नाम ....

प्राचार्य की पद मुद्रा

अनुभव के अधिभार की गणना हेतु पत्रक

प्रपत्र-2

(अतिथि विद्वान के रूप में शासकीय महाविद्यालयों में कार्य अनुभव के अधिभार की गणना बाबत)

विषय:	

आवेदक का पूरा नाम : ....

पिता/पति का नाम : ....

आवेदक को उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में कार्य करने पर, अनुभव के आधार पर वरीयता अंक अंतिम मेरिट में जोड़े जावेगें। अधिभार की गणना हेतु प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए शैक्षणिक-कार्य अथवा लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के रूप में कार्य करने पर निम्न तालिकानुसार अनुभव के अंक प्रदान किये जावेगें:

1. एक शैक्षणिक सत्र में 151 से अधिक कालखण्डों पर : 04 अंक
2. एक शैक्षणिक सत्र में 101 से 150 के मध्य कालखण्डों पर : 03 अंक
3. एक शैक्षणिक सत्र में 51 से 100 के मध्य कालखण्डों पर : 02 अंक
4. एक शैक्षणिक सत्र में 25 से 50 तक के कालखण्डों पर : 01 अंक
5. लाइब्रेरियन/स्पोर्ट्स-ऑफिसर के लिए कालखण्डों के स्थान पर कार्यदिवस की संख्या प्रतिस्थापित करें।

अधिभार की गणना की तालिका

शैक्षणिक सत्र (अधिकतम पांच)	क्रमांक	महाविद्यालय/यों का/के नाम	महाविद्यालयवार कालखण्डों/ कार्यदिवस की संख्या	सत्रवार कालखण्डों / कार्यदिवस की कुल संख्या	सत्रवार अनुभव के अंक	सत्रवार अनुभव के आधार पर आयु सीमा में छूट	संलग्न प्रमाणपत्र का क्रमांक एवं दिनांक
.... (प्रथम सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (द्वितीय सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (तृतीय सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (चतुर्थ सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
.... (पंचम सत्र)	....	....	....	....	....	....	....
अनुभव के कुल अंकों का योग (अधिकतम अंक 20)							

अग्रणी महाविद्यालय द्वारा अभिप्रमाणीकरण के लिए आरक्षित स्थान		
अनुभव के कुल अंक :		
आयु सीमा में छूट :	....	-- (जांचकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर एवं नाम)
प्राचार्य के हस्ताक्षर एवं मोहर:		

(आवेदक के हस्ताक्षर)

दिनांक: ....

टीप:1: आयु सीमा में छूट का लाभ भी उपरोक्त गणना के अनुसार प्रति सत्र अनुभव के लिए 01 वर्ष की दर से अधिकतम पांच वर्ष की छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस प्रकार उपरोक्त छूट को जोड़ते हुए आवेदक की आयु विज्ञापन में निर्धारित तिथि को 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

2. जिले के अग्रणी महाविद्यालय से अनुभव के अंक एवं आयु सीमा में छूट का अभिप्रमाणीकरण कराने का दायित्व आवेदक का ही होगा।

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1- **सहायक प्राध्यापक** के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार है :-

1- उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगें

1. www.mponline.gov.in
2. www.mppsc.com
3. www.mppsc.nic.in

2- आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/ परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद प्राप्त कर सकते है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची www.mponline.gov.in, www.mppsc.com तथा www.mppsc.nic.in पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।

3- आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/ परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते है। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते है।

4- आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइले तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा नि:शुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट है।

5- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिये कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।

6- आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म मे अंकित की जा रही है वही प्रमाणिक जानकारी है अत: ऑनलाइन आवेदन पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गयी जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन submit करें।

7- आवेदन पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमे उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8- त्रुटि सुधार सुविधा :- आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक **31.07.2014 से 22.08.2014** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गयी श्रेणी/ वर्ग (अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ लिंग (महिला/पुरुष)/ शासकीय सेवक/ नि:शक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है । अत: त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/ वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा ।

09- आवेदक यह सुनिश्चित करें की उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2- परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्य प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा नि:शक्तजन हेतु	**शेष सभी श्रेणी तथा मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु**
₹ 90/-	**₹ 180/-**
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त ₹ 40/- (सेवाकर सहित) देय होगा	

परीक्षा तथा आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो **mponline** से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते है :-

दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या हेतु :- बिनोय एम. जार्ज - (0755) 4019410

टीप: आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-

01 यदि आयोग द्वारा विज्ञापन निरस्त किया जाये अथवा

02 किसी कारण से परीक्षा अथवा चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाय

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983
एम.पी.ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शापिंग माल, द्वितीय तल अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026 (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर- 155343 (टोल फ्री)
तकनीकी समस्या हेतु :- बिनोय एम. जार्ज - (0755) 4019410

3- ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि **<u>20.08.2014</u>** है। अंतिम तिथि को रात्रि 12:00 बजे के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4- आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नही करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

<u>आयु संबंधी प्रमाण के लिए :-</u> केवल हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/ प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

<u>शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र :-</u> हाईस्कूल/ हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां।

<u>अनुभव के प्रमाण पत्र :-</u> अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये। ।

<u>नि:शक्तता प्रमाण-पत्र :-</u> नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) नि:शक्तता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **सहायक प्राध्यापक के पदों हेतु पद विवरण में दर्शाये अनुसार नि:शक्त श्रेणी हेतु आरक्षण तथा छूटों की पात्रता रहेगी । न्यूनतम 40 प्रतिशत अथवा अधिक नि:शक्त अभ्यर्थी ही आरक्षण तथा छूटों के पात्र होंगें।**

जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्य प्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। यदि आवेदन पत्र के साथ वैध प्रावधिक जाति प्रमाण-पत्र (जो की आवेदन

की अंतिम तिथिको छ: माह के भीतर की अवधि में जारी हुआ हो) संलग्न किया जाता है तो साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयम जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। **<u>विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगें। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।</u>**

मध्य प्रदेश के अतिथि विद्वान के रूप में कार्यानुभव के प्रमाण-पत्र तथा गणना पत्रक :- मध्य प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अतिथि विद्वान के रूप में संपादित कार्यानुभव का **प्रमाण-पत्र** संबन्धित शासकीय महाविद्यालय के प्राचार्य से परिशिष्ठ -2 में उल्लेखित प्रपत्र-1 में प्राप्त करें तथा कार्यानुभव के आधार पर देय वरीयता अंक तथा आयु सीमा में छूट का **गणना-पत्रक** प्रपत्र -2 में अग्रणी महाविद्यालय से प्राप्त करें। उक्त दोनों प्रपत्रों की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

विधवा, परित्यक्ता तथा तलाक़शुदा हेतु उच्चतम आयुसीमा में छूट की पात्रता के लिए सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण-पत्र।

कार्यरत/ छंटनी किये गए शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/ सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु ग्रीनकार्ड।

<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(दो-2) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।

<u>परिशिष्ट</u> -1 की कंडिका-(दो-3) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5- जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमे आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

अभिलेखों के स्वप्रमाणन के संदर्भ में अनुदेश :-

लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों को साक्षात्कार के पूर्व ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किए जाने वाले अभिलेखों की छायाप्रतियों का प्रमाणन राजपत्रित अधिकारी से कराना आवश्यक नहीं है । अभिलेखों की छायाप्रतियों का स्वप्रमाणन आवेदक द्वारा किया जा सकेगा। आवेदक ध्यान रखें कि उनके द्वारा असत्य या भ्रामक जानकारी देने पर उनके विरुद्ध आपराधिक/ दांडिक कार्यवाही की जा सकती है। साथ ही उन्हें प्राप्त समस्त लाभों को वापस लिया जाएगा।

6- **अनुशासनिक निर्देश :-**

ऐसे आवेदक को आपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग द्वारा निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो :-

01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या

02 प्रतिरूपण किया हो; या

03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या

04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हो, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या

05 ऐसे कथन दिये हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हों; या

06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हों; या

07 परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हों या करने का प्रयास किया हों; या

08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हों या धमकाया हों या शारीरिक छति पहुंचाई हों; या

09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिये दिये गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमे परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हों; या

10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,

11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तरपुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा कराते हुये अपने साथ ले गया हों।

<u>आपराधिक अभियोजन के लिये उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा :-</u>

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिये, जिसके लिये वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा और/ या

(ख) उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिये -

(एक) आयोग द्वारा, ली गयी किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से ;

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा मे हों तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जायेगी जब तक कि -

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हों, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गयी कालावधि के भीतर प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हों, पर विचार न किया गया हो।

7- **अनर्हतायें:-** ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

9- **अत्यंत महत्वपूर्ण:-** आवेदक कृपया ध्यान रखें की परीक्षा केंद्र पर प्रवेश-पत्र के साथ निम्न मान्य फोटो युक्त पहचान पत्र प्रस्तुत करने तथा उससे पहचान की पुष्टि होने के पश्चात ही परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी।

1 मतदाता परिचय-पत्र	2. आधार कार्ड	3. ड्रायविंग लायसेंस
4. आयकर पैन कार्ड	5. पासपोर्ट	

परीक्षा में सफल आवेदकों को साक्षात्कार के समय भी फोटोयुक्त पहचान पत्र की मूल प्रति तथा एक स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना है। फोटो परिचय पत्र द्वारा आवेदक के पहचान की पुष्टि न होने पर आवेदक को परीक्षा/ साक्षात्कार में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

10- **लिखित परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश :-**

01 परीक्षा का परिणाम केवल "रोजगार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर प्रकाशित किया जायेगा। आवेदक को उसके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।

02 परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। अत: सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबन्धित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमे प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com पर उपलब्ध कराये गए अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।

03 साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हों जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को बिना विचार किए नस्तीबद्ध किया जायेगा।

11- यात्रा व्यय का भुगतान :-

मध्य प्रदेश के मूल निवासी तथा मध्य प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग तथा मध्य प्रदेश के मूल निवासी दृष्टिबाधित नि:शक्त श्रेणी के ऐसे आवेदकों को जो कहीं सेवारत नहीं है को मध्य प्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व लिखित परीक्षा हेतु केन्द्राध्यक्ष तथा साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा। ऐसे आवेदक निकटतम परीक्षा केंद्र चुने। आवेदकों को इसके लिये वांछित घोषणापत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगें :-

(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

(02) दृष्टिबाधित नि:शक्तता के प्रमाणन हेतु चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी नि:शक्तता प्रमाण-पत्र जिसमें न्यूनतम 40% नि:शक्तता प्रमाणित हों।

(03) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गयी है तथा किराये की राशि का स्पष्टत: उल्लेख हों।